

**प्रेस-विज्ञप्ति****थाना- कोतवाली**

**थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 180 शीशी देशी शराब व 5 किग्रा (यूरिया, नौशादर व नमक ) मिश्रित पदार्थ के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बद्धोपुर में बबलू सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अपने घर पर काफी मात्रा में देशी शराब ठेका से खरीद कर स्टोर कर मिश्रित दारू बनाकर बेचता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम बद्धोपुर बबलू सिंह के घर पहुंचे कि वहा एक व्यक्ति मौजूद मिला जिसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम बबलू सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह निवासी ग्राम बद्धोपुर थाना कोतवाली बताया। जिसको पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके पर तलाशी में अभियुक्त के घर से 20-20 लीटर की पांच जरीकेन से 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 4 पेटियो से 180 शीशी देशी शराब व 5 किग्रा (यूरिया, नौशादर व नमक ) मिश्रित पदार्थ तथा एक अदद मोटरसाइकिल हिरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP50BJ2447 बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 149/21 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्तमान समय में लाकड़ाउन चल रहा है जिसके कारण अभियुक्त को कहीं भी काम धन्धा नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से आहोपट्टी के देशी शराब से ठेकेदार मुन्ना सिंह जो गांव समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं उनसे बातचीत करके उन्ही के देशी ठेका से कभी पैसा देकर कभी बिना पैसा दिए काफी मात्रा में माल उठा लेता हैं, जिसे यूरिया और नवसादर व नमक मिलाकर इसकी मात्रा बढ़ा लेता हूं आज सौ ली0 माल तैयार किया था इसी को बेचता फिर बनाना और जब पैसे मिल जाते हैं तो अभियुक्त ले जाकर उनको निर्धारित कीमत से कुछ बढ़ाकर ही उनको दे देते है। इसी विश्वास पर मुन्ना सिंह ने अभियुक्त को छूट दे रखी है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0- 149/21 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम, थाना-कोतवाली, आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- बबलू सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह निवासी ग्राम बद्धोपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़।

**बरामदगी-**

1- 20-20 लीटर की पांच जरीकेन से 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब,

2- 4 पेटियो से 180 शीशी देशी शराब

3- 5 किग्रा (यूरिया, नौशादर व नमक ) मिश्रित पदार्थ

4- एक अदद मोटरसाइकिल हिरो स्प्लेंडर प्लस

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना- कोतवाली, आजमगढ़

2- वरिष्ठ उ0नि0 श्री ब्रम्हदीन पाण्डेय मय हमराह, थाना- कोतवाली, आजमगढ़

3- उ0नि0 श्री शिवकुमार कुशवाहा मय हमराह व उ0नि0 श्री संजय कुमार तिवारी मय हमराह, थाना- कोतवाली, आजमगढ़